



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 209/2022

दायर दिनांक 09.06.2022

वादीया

1. रेखाराम पुत्र स्व0 गोमाराम
जाति मेघवाल निवासी
खाखोली, तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 गोमाराम
2. श्रवणराम पुत्र स्व0 गोमाराम
3. नेमाराम पुत्र स्व0 गोमाराम समस्त जाति
मेघवाल निवासीगण खाखोली तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0
4. तहसीलदार डीडवाना ।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील वादी।
2. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रतिवादी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 15.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 की पैत्रिक खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 बारानी 2 वाकै सरहद खाखोली, पटवार हल्का खाखोली, भू0अभि0 नि0 क्षेत्र, नूवा तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि स्व0 गोमाराम की खातेदारी के खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 बारानी 2 में स्व0 गोमाराम की फौतगी के पश्चात् उनके समस्त वारिसान चारो पुत्रों का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ। परन्तु चारो पुत्रों ने संयुक्त रूप से जमीन बेची लेकिन अन्य तीन पुत्र बाहर गये हुये होने से सम्पूर्ण रजिस्ट्री रेखाराम से करवाई, जिससे खातेदारी से रेखाराम का नाम हट गया।


यह है कि खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 बारानी-2 वाकै सरहद खाखोली की पैत्रिक खातेदारी में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड केवल मात्र अनपढ़ व अज्ञानता से अकेले द्वारा रजिस्ट्री करवाने से नाम खाते में शेष नहीं रहा।

यह है कि वादी ने जब खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 बारानी 2 वाकै सरहद खाखोली के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की बात प्रतिवादी सं0 01 ता 03 को बताई तो प्रतिवादी सं0 01 ता 03 ने खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 बारानी 2 में से उनके हिस्से में आई 1/3-1/3 अर्थात् 0.8200 हैक्टे0 - 0.8200 हैक्टे0 भूमि अपने अपने हिस्से में से सवा-सवा बीघा अर्थात् 0.2023 हैक्टे0 प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा वादी को आपसी सहमति से वादी के बंट में कुल 0.6177 हैक्टे0 अर्थात् 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि देना तय हुआ है, इसी अनुरूप वादी खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 बारानी 2 में अपने हिस्से व बंट के अनुसार नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 0.6070 हैक्टे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ, इसलिए वादी को यह घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरुस्ती का वाद पेश करना लाजमी आया है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में बंटवारा मौखिक रूप से हो रखा है तथा उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है जिनका बंटवारा निम्न प्रकार से है :-

1. वादी रेखाराम के बंट में आई भूमि - खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 01 ता 03 द्वारा अपने-अपने हिस्से में प्रत्येक द्वारा 0.2023 हैक्टे0 भूमि कुल 0.6177 हैक्टे0 अर्थात् 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट में आई है।
2. प्रतिवादी सं0 02 श्रवणराम के बंट में आई भूमि :- खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 भूमि में से 0.6177 हैक्टे0 भूमि में से 0.6177 हैक्टे0 अर्थात् 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट रखी गई है।




सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

3. प्रतिवादी सं० 3 नेमाराम के बंट में आई भूमि :- खेत खसरा सं० 313 रकबा 2.4600 हैक्टे० भूमि में से 1.2354 हैक्टे० अर्थात कुल भूमि 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट रखी गई है।

यह है कि प्रतिवादी सं० 01 रामेश्वरलाल के हिस्से की भूमि का पूर्व में बैचाण किया जा चुका है, इसलिए अब उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रतिवादी सं० 01 रामेश्वरलाल का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है, इसलिए प्रतिवादी सं० 01 रामेश्वरलाल का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे इसलिए दावा बाबत रेकर्ड दुरुस्ती का पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :- उपरोक्त वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे तथा उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01 ता 03 का राजीनामा पेश हुआ जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं० 04 को जरिये समन तलब किया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीया डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :-


अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद खाखोली पटवार हल्का खाखोली, भूअभि० निरिक्षक क्षेत्र नूवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं० 313 रकबा 2.4600 हैक्टे० भूमि में निम्न प्रकार वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं० 01 रामेश्वरलाल का नाम उक्त खसरा भूमि से हटाया जाता है।

1. वादी रेखाराम के बंट में आई भूमि - खेत खसरा सं० 313 रकबा 2.4600 हैक्टे० भूमि में से प्रतिवादी सं० 01 ता 03 द्वारा अपने-अपने हिस्से में प्रत्येक द्वारा 0.2023 हैक्टे० भूमि कुल 0.6177 हैक्टे० अर्थात 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट में आई है।
 2. प्रतिवादी सं० 02 श्रवणराम के बंट में आई भूमि :- खेत खसरा सं० 313 रकबा 2.4600 हैक्टे० भूमि में से 0.6177 हैक्टे० भूमि में से 0.6177 हैक्टे० अर्थात 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट रखी गई है।
 3. प्रतिवादी सं० 3 नेमाराम के बंट में आई भूमि :- खेत खसरा सं० 313 रकबा 2.4600 हैक्टे० भूमि में से 1.2354 हैक्टे० अर्थात कुल भूमि 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट रखी गई है।
- तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।


(कार्तिक मीणा)
डीडीपी.एस. (नागौर)
सहायक कलक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(कार्तिक मीणा)
डीडीपी.एस. (नागौर)
सहायक कलक्टर

डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 209/2022

दायर दिनांक 09.06.2022

वादीया

1. रेखाराम पुत्र स्व0 गोमाराम
जाति मेघवाल निवासी
खाखोली, तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 गोमाराम
2. श्रवणराम पुत्र स्व0 गोमाराम
3. नेमाराम पुत्र स्व0 गोमाराम समस्त जाति
मेघवाल निवासीगण खाखोली तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0
4. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 15.06.2022


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री सुरेन्द्र पुरी वकील वादी व श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रतिवादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद खाखोली पटवार हल्का खाखोली, भूअभि0 निरिक्षक क्षेत्र नूवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 भूमि में निम्न प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं0 01 रामेश्वरलाल का नाम उक्त खसरा भूमि से हटाया जाता है।

1. वादी रेखाराम के बंट में आई भूमि - खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 01 ता 03 द्वारा अपने-अपने हिस्से में प्रत्येक द्वारा 0.2023 हैक्टे0 भूमि कुल 0.6177 हैक्टे0 अर्थात 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट में आई है।
2. प्रतिवादी सं0 02 श्रवणराम के बंट में आई भूमि :- खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 भूमि में से 0.6177 हैक्टे0 भूमि में से 0.6177 हैक्टे0 अर्थात 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट रखी गई है।
3. प्रतिवादी सं0 3 नेमाराम के बंट में आई भूमि :- खेत खसरा सं0 313 रकबा 2.4600 हैक्टे0 भूमि में से 1.2354 हैक्टे0 अर्थात कुल भूमि 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट रखी गई है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
जिला नागौर

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
जिला नागौर

